विधान सभा सचिवालय
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

आठंवी विधान सभा
(EIGHTH LEGISLATIVE ASSEMBLY)

विशेषाधिकार समिति का प्रथम प्रतिवेदन
(06 जनवरी, 2026 को प्रस्तुत)

FIRST REPORT OF COMMITTEE OF PRIVILEGES
(PRESENTED ON 06 JANUARY, 2026)

विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054
Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi-110054

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY
PRIVILEGE COMMITTEE

समिति का गठन
COMPOSITION OF THE COMMITTEE

1.	श्री प्रद्युम्न सिंह राजपूत Shri Parduymn Singh Rajput	सभापति Chairperson
2.	श्री अभय कुमार वर्मा Shri Abhay Kumar Verma	सदस्य Member
3.	श्री अजय कुमार महावर Shri Ajay Kumar Mahawar	सदस्य Member
4.	श्री नीरज बसोया Shri Neeraj Basoya	सदस्य Member
5.	श्री राम सिंह नेताजी Shri Ram Singh Netaji	सदस्य Member
6.	श्री रवि कांत Shri Ravi Kant	सदस्य Member
7.	श्री सतीश उपाध्याय Shri Satish Upadhyay	सदस्य Member
8.	श्री सुरेन्द्र कुमार Shri Surendra Kumar	सदस्य Member
9.	श्री सूर्य प्रकाश खत्री Shri Surya Prakash Khatri	सदस्य Member

विधान सभा सचिवालयः
Assembly Secretariat:

1.	श्री रंजीत सिंह Shri Ranjeet Singh	सचिव Secretary
2.	श्री सदानंद साह Shri Sadanand Sah	उप सचिव (विधायी) Deputy Secretary (Legislation)
3.	श्री रविन्द्र कुमार Shri Ravinder Kumar	अनुभाग अधिकारी Section Officer
4.	श्री रघु नाथ Shri Raghu Nath	अनुभाग अधिकारी Section Officer

INTRODUCTION

I, the Chairperson of the Committee of Privileges having been authorized by the Committee to present its First Report on their behalf before the House in the matter of "Authenticity of Faansi Ghar" which was inaugurated on 9th August, 2022 in Delhi Legislative Assembly Premises.

The Committee held sittings on 13.11.2025 and 20.11.2025 to consider the matter.

The Committee appreciates the cooperation and valuable assistance rendered by the Officers and staff of the Assembly Secretariat during its sittings as also in the preparation of the Report.

The Committee authorized the Chairperson and in his absence Shri Abhay Verma, Hon'ble Chief Whip/Hon'ble Member of the Committee for presenting the Report of the Committee in the House.

(Parduymn Singh Rajput)
Chairperson
Committee of Privileges

Place: Delhi

Date: 30.12.2025

Brief Facts:

On 09th August 2022, a ceremony was organised within the precincts of the Delhi Assembly for *'unveiling of the Faansi Ghar after restoration'* (जीर्णोद्धार के उपरांत फांसी घर का अनावरण). Shri Arvind Kejriwal, the then Chief Minister of Delhi was the Chief Guest of the ceremony presided over by Shri Ram Niwas Goel, the then Speaker, Delhi Assembly. Shri Manish Sisodia, the then Deputy Chief Minister and Smt. Rakhi Birla, the then Deputy Speaker were the Guests of Honour in the ceremony. The event was widely covered and reported by the media. The venue became a major source of interest and was enthusiastically visited by delegations and general public.

After assuming Office in February 2025, Shri Vijender Gupta, Hon'ble Speaker initiated various steps to preserve the heritage of the Delhi Assembly building which holds a very important place in the history of our independence struggle; the objective being to declare the Delhi Assembly building as a heritage Monument of National Importance.

During the course of this exercise, it was found that there was no authentic historical evidence which showed that a 'Faansi Ghar' ever existed in the Delhi Assembly premises. On the contrary as per information received from the National Archives, it was revealed that the space which had been claimed as the 'Faansi Ghar' was in fact a Tiffin Room.

Under Rule 271 the Hon'ble Speaker apprised the House of the factual position on 5th August 2025. The House discussed the issue on 5th, 6th and 7th August 2025. 22 Members, including the Hon'ble Chief Minister Hon'ble Ministers and Members of the Opposition, expressed their views on the subject. Taking the sense of the House, the Hon'ble Speaker referred the matter to the Committee of Privileges for thorough investigation.

Details of Committee Proceedings:

On 9th September 2025, the Assembly Secretariat issued a letter to Shri Arvind Kejriwal, Shri Ram Niwas Goel, Shri Manish Sisodia, and Smt. Rakhi Birla with the request to send their written comments regarding the *"authenticity of the existence of the Faansi Ghar'."* Vide letters dated 19th September 2025, 25th September, 2025 and 29th September, 2025 all the four replied to the Secretariat *inter alia* challenging the jurisdiction of the Committee and that there was no breach of privilege.

On 04th November 2025, Shri Arvind Kejriwal, Shri Ram Niwas Goel, Shri Manish Sisodia, and Smt. Rakhi Birla were informed that their replies had been taken on record and would be dealt by the Committee appropriately in its sitting. Further they were requested to appear in person before the Committee's sitting which was scheduled for 13th November 2025 and that they could submit any *"written statement (including any information regarding the authenticity of the existence of the 'Faansi Ghar') in advance to the Committee."* Formal summons were also issued and they were also informed that non-compliance of the summons could lead to initiation of proceedings for breach of privilege/contempt of the Assembly.

Shri Arvind Kejriwal and Shri Manish Sisodia filed a writ before the Hon'ble High Court [WP (C) 17025/2025] praying for the quashing of the Committee's letter, notice and summons for the sitting scheduled for 13th November 2025. The maintainability of the Writ was challenged by the Counsels for the Assembly and Committee. The Hon'ble Court did not allow any interim relief and decided to hear the parties on the maintainability first.

None of the four appeared before the sitting of the Committee which was held on 13th November 2025. No intimation was received regarding their absence till the end of the day. The Committee expressed its concern over their absence but decided to accord one more opportunity to them for recording their deposition. As directed by the Committee, Shri Arvind Kejriwal, Shri Ram Niwas Goel, Shri Manish Sisodia, and Smt. Rakhi Birla were informed vide letter and summons dated 13th November, 2025 about the decision of the Committee and again requested to appear in person before the Committee's sitting scheduled for 20th November 2025.

On 14th November 2025 two identical letters dated 13th November 2025 were received by the Secretariat through Speed Post from Shri Talha Abdul Rehman representing Shri Arvind Kejriwal and Shri Manish Sisodia respectively. The letters sought to defer the proceedings of the Committee on the grounds that the matter was before the High Court and that the proceedings be deferred till the outcome of the judicial proceedings. Vide letters dated 14th November 2025, Shri Arvind Kejriwal and Shri Manish Sisodia were informed that Summons and Notice for the next sitting had already been issued. They were also informed that as the Hon'ble High Court had not passed any directions in contrary, the sitting shall proceed as scheduled.

On the next date of sitting, i.e. 20th November 2025 also none of the four appeared before the Committee. Instead, they once again wrote letters stating that the

sitting be deferred till the outcome of the judicial proceedings. They also claimed that such deferrals were in line with the convention followed by earlier committees of the House and those of the Parliamentary Committees. Interestingly, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla had not even filed any writ and stated that they intended to approach the High Court and hence the proceedings should be deferred. In spite of the Secretariat promptly replying to them and conveying that the sitting would proceed as scheduled, they chose to not appear before the Committee on 20th November 2025 also. The Committee members expressed their concern and authorised the Chairperson to decide the future course of action.

The Hon'ble High Court heard the arguments on the maintainability of the WP (C) 17025/2025, next on 24th November 2025. On the attention of the Hon'ble Court being drawn to the fact that the petitioners were avoiding their appearance before the Committee citing the pendency of the proceedings, the Hon'ble Court clarified that it had *'not yet passed any interim order, and is in the process of hearing arguments on the maintainability of the present petition'.* Arguments in this regard were heard on 12th December 2025 and the next date of hearing is 8th January 2026.

Observations and Conclusion:

From the above narration of events, it is evident that Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla had deliberately and wilfully chosen to stay away from the proceedings of the Committee of Privileges in spite of being provided adequate clarifications, opportunity and time. They were very much aware that the High Court had not passed any directions or orders in this matter. In fact, their Advocates had not even sought any such interim relief, before the Court during the proceedings. All the four of them were purposefully using the pretext of the court proceedings to avoid appearing before the Committee.

Section 18(3) of the Government of the National Capital Territory of Delhi, Act, 1991 provides that the powers, privileges and immunities of the Legislative Assembly, its Members and its Committees shall be such as are being enjoyed by the House of People (Lok Sabha), its Members and Committees. This provision is similar to Article 105(3) in respect of the Parliament's powers. As per Rule 172 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly of NCT of Delhi, the Committees have the power to take evidence, call for papers, records or documents.

The following extract from the treatise, 'Practice and Procedure of Parliament- MN Kaul and SL Shakdher' is relevant in this regard and is reproduced below:

"Disobedience of Orders of the House or its Committees

Disobedience to the orders of the House, whether such orders are of general application or require a particular individual to do or abstain from doing a particular act is a contempt of the House. Disobedience to the orders of a Committee of the House is treated as a contempt of the House itself, provided the order disobeyed is within the scope of the Committee's authority. To prevent, delay, obstruct or interfere with the execution of the orders of the House or a Committee thereof is also a contempt of the House.

Examples of contempt are— refusal or neglect of a witness or any other person, summoned to attend the House or a Committee thereof, to attend;"

The power of the Assembly and its Committees to summon persons, both members and non-members and compel their attendance, if need be, has been upheld even by the courts. Most recently, in the Ajit Mohan & Ors. v. Legislative Assembly of NCT of Delhi & Ors. [2021 INSC 324. WP(C) 1088/2020] the Hon'ble Supreme Court has upheld these powers of the Assembly and its Committees in a matter involving the Delhi Assembly's Committee itself.

Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla had also mentioned in their correspondences with the Secretariat that the deferral of proceedings was in line with the convention followed by earlier committees of the House as also of the convention of the Committees of the Parliament. It is a fact that the Committees have deferred its sittings to accommodate the requests of the parties or witnesses, if sought on genuine grounds. However, there is no convention or precedent of a sitting being deferred on the request of the parties on the grounds that a court matter is pending especially when the Hon'ble Court has not passed any directions to that effect.

As former Members and dignitaries who were well aware of the events leading to the opening of the 'Faansi Ghar', it was their bounden duty to appear before the Committee and assist it in ascertaining the veracity of the claim that a 'Faansi Ghar' ever existed in the Assembly premises. By failing to do so, in spite of the Committee providing them adequate opportunity and time, they have hampered the Committee from fulfilling the duty cast upon it by the House. The Committee had clearly informed them that the grounds on which they were seeking the deferral of the sitting was not

justified. In such a situation, in the opinion of this Committee, the action of Shri Arvind Kejriwal, Shri Manish Sisodia, Shri Ram Niwas Goel and Smt. Rakhi Birla to not appear before the Committee constitutes contempt of the House and its Committee

Recommendations:

1. The Committee recommends that the House may take proper action as deemed fit against Shri Arvind Kejriwal, Shri Ram Niwas Goel, Shri Manish Sisodia and Smt. Rakhi Birla for their wilful absence from the sittings of the Committee of Privileges which were scheduled for 13th November 2025 and 20th November 2025 without just cause or permission of the Committee.

2. As regards the main matter which was referred to the Committee by the Hon'ble Speaker, regarding the authenticity of the existence of 'faansi ghar', the Committee shall continue its examination of the parties and witnesses and submit a Report in the next session.

Delhi
Date: 30.12.2025

(Parduymn Singh Rajput)
Chairperson
Committee of Privileges

संक्षिप्त तथ्यः

09 अगस्त, 2022 को, दिल्ली विधानसभा परिसर में *'जीर्णोद्धार के उपरांत फांसी घर का अनावरण'* के लिए एक समारोह आयोजित किया गया था। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल इस समारोह के मुख्य अतिथि थे, जिसकी अध्यक्षता दिल्ली विधानसभा के तत्कालीन अध्यक्ष श्री राम निवास गोयल ने की थी। तत्कालीन उपमुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया और तत्कालीन उपाध्यक्ष श्रीमती राखी बिड़ला इस समारोह में विशिष्ट अतिथि थे। इस कार्यक्रम को मीडिया ने व्यापक रूप से कवर किया और रिपोर्ट किया। यह स्थान लोगों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया और प्रतिनिधिमंडलों और आम जनता ने उत्साहपूर्वक इसका दौरा किया।

फरवरी, 2025 में पदभार ग्रहण करने के बाद, माननीय अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा भवन की विरासत को संरक्षित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए, जिसका हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं। इसका उद्देश्य दिल्ली विधानसभा भवन को राष्ट्रीय महत्व का विरासत स्मारक घोषित करना था।

इस प्रक्रिया के दौरान, यह पाया गया कि ऐसा कोई प्रामाणिक ऐतिहासिक प्रमाण नहीं था जो यह दर्शाता हो कि दिल्ली विधानसभा परिसर में कभी कोई 'फांसी घर' मौजूद था। इसके विपरीत, राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह पता चला कि जिस स्थान को 'फांसी घर' होने का दावा किया गया था, वह वास्तव में एक टिफिन रूम था।

नियम 271 के तहत, माननीय अध्यक्ष ने 5 अगस्त, 2025 को सदन को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। सदन ने 5, 6 और 7, अगस्त 2025 को इस मुद्दे पर चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्रियों और प्रतिपक्ष के सदस्यों सहित 22 सदस्यों ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। सदन की गरिमा को ध्यान में रखते हुए, माननीय अध्यक्ष ने मामले को गहन जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया।

समिति की कार्यवाही का विवरणः

9 सितंबर, 2025 को, विधानसभा सचिवालय ने श्री अरविंद केजरीवाल, श्री राम निवास गोयल, श्री मनीष सिसोदिया और श्रीमती राखी बिड़ला को एक पत्र जारी कर उनसे *"फांसी घर के अस्तित्व की प्रामाणिकता"* के संबंध में अपनी लिखित टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया। 19 सितंबर, 2025, 23 सितंबर, 2025 तथा 29 सितंबरए 2025 के पत्रों के जरिए, चारों ने सेक्रेटेरिएट को जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कमेटी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी और कहा कि विशेषाधिकार का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

04 नवंबर, 2025 को, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री राम निवास गोयल, श्री मनीष सिसोदिया और श्रीमती राखी बिड़ला को सूचित किया गया कि उनके जवाब रिकॉर्ड पर ले लिए गए हैं और समिति अपनी बैठक में उन पर उचित कार्रवाई करेगी। इसके अलावा, उनसे अनुरोध किया गया कि वे 13 नवंबर, 2025 को होने वाली समिति की बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों और वे समिति को पहले से कोई *"लिखित बयान (जिसमें 'फांसी घर' के अस्तित्व की प्रामाणिकता के बारे में कोई भी जानकारी शामिल हो)"* जमा कर सकते हैं। औपचारिक समन भी जारी किए गए और उन्हें यह भी सूचित किया गया कि समन का पालन न करने पर विशेषाधिकार/ विधानसभा की अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

श्री अरविंद केजरीवाल और श्री मनीष सिसोदिया ने माननीय उच्च न्यायालय में एक Writ [WP (C) 17025/2025] दायर की, जिसमें 13 नवंबर, 2025 को होने वाली बैठक के लिए समिति के पत्र, नोटिस और समन को रद्द करने की प्रार्थना की गई थी। विधानसभा और समिति के वकीलों ने रिट की स्वीकार्यता को चुनौती दी। माननीय न्यायालय ने कोई अंतरिम राहत नहीं दी और पहले स्वीकार्यता पर पक्षों को सुनने का फैसला किया।

चारों में से कोई भी 13 नवंबर, 2025 को हुई समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हुआ। दिन के अंत तक उनकी अनुपस्थिति के बारे में कोई सूचना नहीं मिली। समिति ने उनकी अनुपस्थिति पर चिंता व्यक्त की, लेकिन उन्हें अपना बयान दर्ज कराने के लिए एक और अवसर देने का फैसला किया। समिति के निर्देशानुसार, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री राम निवास गोयल, श्री मनीष सिसोदिया और श्रीमती राखी बिड़ला को 13 नवंबर, 2025 के पत्र और समन के माध्यम से समिति के फैसले के बारे में सूचित किया गया और उनसे फिर से 20 नवंबर, 2025 को होने वाली समिति की बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का अनुरोध किया गया।

14 नवंबर, 2025 को सचिवालय को स्पीड पोस्ट के माध्यम से श्री तलहा अब्दुल रहमान से 13 नवंबर, 2025 की तारीख के दो समान पत्र प्राप्त हुए, जो क्रमशः श्री अरविंद केजरीवाल और श्री मनीष सिसोदिया का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पत्रों में कमेटी की कार्यवाही को टालने की मांग की गई थी, इस आधार पर कि मामला हाई कोर्ट में है और न्यायिक कार्यवाही का नतीजा आने तक कार्यवाही को टाल दिया जाए। 14 नवंबर, 2025 के पत्रों के जरिए श्री अरविंद केजरीवाल और श्री मनीष सिसोदिया को बताया गया कि अगली बैठक के लिए समन और नोटिस पहले ही जारी किए जा चुके हैं। उन्हें यह भी बताया गया कि क्योंकि माननीय हाई कोर्ट ने इसके विपरीत कोई निर्देश नहीं दिया है, इसलिए बैठक तय समय के अनुसार ही होगी।

अगली बैठक जिसकी तारीख 20 नवंबर 2025 थी, को भी चारों में से कोई भी कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ। इसके बजाय, उन्होंने एक बार फिर पत्र लिखकर कहा कि न्यायिक कार्यवाही के नतीजे आने तक बैठक को टाल दिया जाए। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस तरह का स्थगन सदन की पिछली कमेटियों और संसदीय कमेटियों द्वारा अपनाई गई परंपरा के अनुसार था। दिलचस्प बात यह है कि श्री राम निवास गोयल और

श्रीमती राखी बिड़ला ने कोई रिट भी दायर नहीं की थी और कहा था कि वे हाई कोर्ट जाना चाहते हैं और इसलिए कार्यवाही को टाल दिया जाना चाहिए। सचिवालय द्वारा उन्हें तुरंत जवाब देने और यह बताने के बावजूद कि बैठक तय समय के अनुसार होगी, उन्होंने 20 नवंबर, 2025 को भी कमेटी के सामने पेश न होने का फैसला किया। कमेटी के सदस्यों ने अपनी चिंता व्यक्त की और सभापति को भविष्य की कार्रवाई तय करने का अधिकार दिया।

माननीय हाई कोर्ट ने 24 नवंबर, 2025 को WP (C) 17025/2025 की स्वीकार्यता पर दलीलें सुनीं। जब माननीय कोर्ट का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया कि याचिकाकर्ता कार्यवाही लंबित होने का हवाला देकर कमेटी के सामने पेश होने से बच रहे हैं, तो माननीय कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने *'अभी तक कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं किया है और वर्तमान याचिका की स्वीकार्यता पर दलीलें सुनने की प्रक्रिया में है'*। इस संबंध में दलीलें 12 दिसंबर, 2025 को सुनी गईं और अगली सुनवाई की तारीख 8 जनवरी 2026 है।

अवलोकन और निष्कर्ष:

उपरोक्त तथ्यों के विवरण से यह स्पष्ट है कि श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला ने पर्याप्त स्पष्टीकरण, अवसर और समय दिए जाने के बावजूद जानबूझकर और स्वेच्छा से विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही से दूर रहने का फैसला किया। उन्हें अच्छी तरह पता था कि हाई कोर्ट ने इस मामले में कोई निर्देश या आदेश पारित नहीं किया है। वास्तव में, उनके वकीलों ने कार्यवाही के दौरान कोर्ट से ऐसी कोई अंतरिम राहत भी नहीं मांगी थी। वे चारों जानबूझकर कमेटी के सामने पेश होने से बचने के लिए कोर्ट की कार्यवाही का बहाना बना रहे थे।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली गवर्नमेंट एक्ट, 1991 की धारा 18(3) में यह बताया गया है कि विधानसभा, उसके सदस्यों और उसकी कमेटियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और छूट वैसी ही होंगी जैसी लोकसभा, उसके सदस्यों और कमेटियों को मिलती हैं। यह प्रावधान संसद की शक्तियों के संबंध में अनुच्छेद 105(3) जैसा ही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधानसभा में कामकाज के नियमों के नियम 172 के अनुसार, कमेटियों के पास सबूत लेने, कागजात, रिकॉर्ड या दस्तावेज मंगवाने की शक्ति है।

इस संबंध में *'प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ पार्लियामेंट–एमएन कौल और एसएल शकधर'* ग्रंथ से लिया गया निम्नलिखित अंश प्रासंगिक है और इसे नीचे दिया गया है:

"सदन या उसकी समितियों के आदेशों की अवहेलना

सदन के आदेशों की अवहेलना, चाहे ऐसे आदेश सामान्य रूप से लागू हों या किसी विशेष व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने या न करने के लिए कहें, सदन की अवमानना है। सदन की किसी समिति के आदेशों की अवहेलना को स्वयं सदन की अवमानना माना जाता है, बशर्ते कि जिस आदेश की अवहेलना की गई है, वह समिति के अधिकार क्षेत्र में हो।

सदन या उसकी किसी समिति के आदेशों के निष्पादन को रोकना, विलंबित करना, बाधित करना या उसमें हस्तक्षेप करना भी सदन की अवमानना है।

अवमानना के उदाहरण हैं—सदन या उसकी किसी समिति में उपस्थित होने के लिए बुलाए गए किसी गवाह या किसी अन्य व्यक्ति का उपस्थित होने से इनकार करना या उपेक्षा करना;"

विधानसभा और उसकी समितियों की सदस्यों और गैर—सदस्यों दोनों को बुलाने और यदि आवश्यक हो तो उनकी उपस्थिति के लिए मजबूर करने की शक्ति को अदालतों ने भी बरकरार रखा है। हाल ही में, अजीत मोहन एवं अन्य बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा एवं अन्य [2021 INSC 324- WP(C)1088/2020] मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा की समिति से जुड़े एक मामले में विधानसभा और उसकी समितियों की इन शक्तियों को बरकरार रखा है।

श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला ने भी सचिवालय के साथ अपने पत्राचार में उल्लेख किया था कि कार्यवाही को स्थगित करना सदन की पिछली समितियों द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ—साथ संसद की समितियों की परंपरा के अनुरूप था। यह एक तथ्य है कि समितियों ने पार्टियों या गवाहों के अनुरोधों को समायोजित करने के लिए अपनी बैठकें स्थगित की हैं, यदि वास्तविक आधार पर अनुरोध किया गया हो। हालांकि, पार्टियों के अनुरोध पर इस आधार पर बैठक स्थगित करने की कोई परंपरा या मिसाल नहीं है कि कोई अदालती मामला लंबित है, खासकर जब माननीय न्यायालय ने इस संबंध में कोई निर्देश पारित नहीं किया है।

पूर्व सदस्यों और गणमान्य व्यक्तियों के रूप में, जो 'फांसी घर' के खुलने से संबंधित घटनाओं से अच्छी तरह वाकिफ थे, यह उनका कर्तव्य था कि वे समिति के समक्ष उपस्थित हों और यह पता लगाने में समिति की सहायता करें कि क्या विधानसभा परिसर में कभी 'फांसी घर' मौजूद था। ऐसा न करके, कमेटी द्वारा उन्हें पर्याप्त अवसर और समय दिए जाने के बावजूद, उन्होंने कमेटी को सदन द्वारा सौंपे गए कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाली है। कमेटी ने उन्हें साफ तौर पर बता दिया था कि जिस आधार पर वे बैठक को टालने की मांग कर रहे थे, वह उचित नहीं था। ऐसी स्थिति में, इस कमेटी की राय में, श्री अरविंद केजरीवाल, श्री मनीष सिसोदिया, श्री राम निवास गोयल और श्रीमती राखी बिड़ला का कमेटी के सामने पेश न होना सदन और उसकी कमेटी का अपमान है।

सिफारिशें:

1. कमेटी सिफारिश करती है कि सदन श्री अरविंद केजरीवाल, श्री राम निवास गोयल, श्री मनीष सिसोदिया और श्रीमती राखी बिड़ला के खिलाफ उचित कार्रवाई करे, जैसा कि उचित समझा जाए, क्योंकि वे 13 नवंबर, 2025 और 20 नवंबर, 2025 को होने वाली विशेषाधिकार समिति की बैठकों में बिना किसी उचित कारण या कमेटी की अनुमति के जानबूझकर अनुपस्थित रहे।

2. जहां तक मुख्य मामले का सवाल है, जिसे माननीय अध्यक्ष महोदय ने कमेटी को 'फांसी घर' के अस्तित्व की प्रामाणिकता के संबंध में भेजा था, कमेटी पार्टियों और गवाहों की जांच जारी रखेगी और अगले सत्र में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

दिल्ली

दिनांकः 30·12·2025

(प्रद्युम्न सिंह राजपूत)
अध्यक्ष
विशेषाधिकार समिति